जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्री कैलाश चन्द्र बिजारणिया, एम एल नम्बर 06/2023 (प्लॉट नम्बर 33) की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 2.9557 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 483000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 371, 375 निकट ग्राम बगड़ियों का बास (डूकिया) तहसील – दांतारामगढ़ जिला सीकर (राजस्थान) में मेसनरी स्टोन की प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक 23.04.2026 कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 924 दिनांक 06.03.2026 के द्वारा निर्धारित की गई जिसकी अनुपालना में उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर जिला सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 23.04.2026 (गुरूवार) को दोपहर 01:00 बजे, स्थान– राजीव गांधी सेवा केन्द्र, डूकिया, तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही **(Minutes)** का विवरण–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर के पत्र क्रमांक राजस्व/2026/924 दिनांक 06.03.2026 एवं क्षेत्रिय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–सीकर/एसआईके–पीएच–045/3401–3411 दिनांक 10.03.2026 के अनुपालना में मैसर्स श्री कैलाश चन्द्र बिजारणिया, एम एल नम्बर 06/2023 (प्लॉट नम्बर 33) की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 2.9557 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 483000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 371, 375 निकट ग्राम बगड़ियों का बास (डूकिया) तहसील – दांतारामगढ़ जिला सीकर (राजस्थान) की क्लस्टर मय खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए

(रतन कुमार)
अति. जिला कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर जिला सीकर (राजस्थान) की अध्यक्षता में खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 23.04.2026 को आयोजित की गई।

सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है।** जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र **दैनिक उद्योग आस–पास** के संस्करण में दिनांक 17.03.2026 एवं **दी इण्डियन एक्सप्रेस** के संस्करण में दिनांक 17.03.2026 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति **परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।**

जन सुनवाई के प्रारम्भ मे राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्रीमान् रतन कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर ने जन सुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स वितास्ता एन्वायरो सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर की तकनीकी सलाहकार श्री नदीम गदरीजी के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसयिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई तथा ग्रामीण पंचायत से परामर्श कर उचित व्यवस्थाए की जायेगी।

श्रीमान् रतन कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर जिला सीकर की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति

Davita

के बारे में पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

तत्पश्चात् जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति/सुझाव प्रकट किये गये जो कि निम्नानुसार है :-

1. श्री मोहन लाल सामोता (बगड़ियों का बास), शिवपाल वर्मा (डूकिया), नार सिंह (डूकिया), भागीरथ चन्द (सर्मथपुरा), विक्रम सिंह शेखावत (खातीवास), विनोद गुर्जर (गोवटी), जोधाराम (गोवटी) आदि ने बताया कि खदान का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन/लम्बित है। जिसकी प्रति आपत्ति के साथ संलग्न कर दी गई है। पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है एवं खनन क्षेत्र के समीप गौशाला स्थित है।
2. श्रीमती भुरी देवी (वार्ड पंच), निवासी बगड़ियों का बास ने बताया कि यदि यह प्रस्तावित खनन परियोजनाऐं प्रारम्भ होती है तो यहां पर समस्याऐं बढ़ जायेगी।
3. श्री भागीरथ सामोता (गौशाला अध्यक्ष) ने बताया कि गौशाला, आबादी क्षेत्र, आंगबाड़ी खनन क्षेत्र के पास में स्थित है।
4. श्री श्रवण बगड़ियां, निवासी बगड़ियों का बास ने बताया कि पानी का ट्यूबेल, मन्दिर, विद्यालय, आबादी क्षेत्र, गौशाला, ढ़ाणी आदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र के पास में स्थित है एवं खनन क्षेत्र में आने-जाने का रास्ता भी नहीं है। यहां खनन पट्टे होने से बगड़ियों का बास गांव प्रभावित होगा। लीज करवाने से पहले पंचायत समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है। किसी भी तरफ से खनन क्षेत्र में जाने का रास्ता नहीं है। ग्राम पंचायत डूकिया की तरफ प्रस्तावित खनन परियोजनाओं को निरस्त किया जाये।
5. श्री सांवरमल सामोता, निवासी बगड़ियों का बास ने बताया कि खनन क्षेत्र की दूरी गौशाला से लगभग 250 मीटर से कम है। जलदाय विभाग की ट्यूबेल है। भारी वाहनों के आने-जाने वाले रास्ते टूटे हुए है, मिट्टी उड़ती है एवं रास्तों में गढ्ढे बन गये है।
6. श्री विनोद गुर्जर, निवासी गोवटी ने बताया कि स्थानीय लोगों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में जानकारी नहीं थी। गांव से स्टोन क्रेशरों की दूरी 01 किलोमीटर भी नहीं है। माईन एवं क्रेशर से आमजन को प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। ये स्टोन क्रेशर स्थापित करते समय स्थानीय लोगों को रोजगार देने के

Danita

(रतन कुमार)
अति. जिला कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

आश्वासन दिये जाते है किन्तु वास्तिविक रूप से स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं किया जाता है। प्रस्तावित खनन परियोजनाओं से पुंजीपतियों को फायदा होगा ना की गरीब को।

7. श्री रामेश्वर जाखड़, निवासी बगड़ियों की बास ने बताया कि खनन क्षेत्र के पास मन्दिर, ट्यूबेल, गौशाला आदि स्थित है। आबादी क्षेत्र 30 मीटर पर ही है। मौके पर यथास्थिति देखें। भारी वाहन/डम्पर चलने से सड़के टूट जाती है।
तत्पश्चात् प्रस्तावित खनन परियोजना सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह खनन पट्टे सरकार द्वारा आवंटित किये गये है तथा सभी मापदण्डों को पूरा किया गया है। नक्शे के अनुसार गौशाला लगभग 500 मीटर दूरी पर स्थित है। इस पर ग्रामवासियों ने शोर-शराबा एवं नारेबाजी शुरू कर दी।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, महोदय द्वारा बताया गया कि आज यहां पर 04 प्रस्तावित खनन परियोजनाओं के बारें में सभी बिन्दूओं को आपसे समक्ष प्रस्तुत किये गये है तथा इनकी सूचना समाचार पत्र में भी प्रकाशित की गई थी जो कि आपने लिखित एवं मौखिक रूप से बताया है उसे दर्ज कर लिया गया है। प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया जायेगा। प्रशासन की तरफ से यहां पधारनें पर आप सभी का धन्यवाद!

जनसुनवाई के दौरान इस खनन परियोजना से सम्बन्धित लिखित में 02 सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुई।

अन्य 03 प्रस्तावित खनन परियोजनाओं हेतु भी कार्यालय राजीव गांधी सेवा केन्द्र, डूकिया तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर में जनसुनवाई दिनांक 23.04.2026 को आयोजित थी। प्रस्तावित खनन परियोजना का विवरण निम्नानुसार हैः-

1. मैसर्स श्री देबुराम गोरा, एम एल नम्बर 03/2023 (प्लॉट नम्बर 34) की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 3.3904 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 575025 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 375 एवं 414/2648 निकट ग्राम बगड़ियों का बास (डूकिया) तहसील - दांतारामगढ़ जिला सीकर (राजस्थान)।

Danita

2. मैसर्स श्री सुनिल चौधरी, एम एल नम्बर 05/2023 (प्लॉट नम्बर 39) की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 2.1160 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 381450 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 371 निकट ग्राम बगड़ियों का बास (डूकिया), तहसील – दांतारामगढ़ जिला सीकर (राजस्थान)।

3. मैसर्स श्री देबुराम गोरा, एम एल नम्बर 04/2023 (प्लॉट नम्बर 35) की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 2.7539 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 462450 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 371, 375 एवं 414/2648 निकट ग्राम बगड़ियों का बास (डूकिया), तहसील – दांतारामगढ़ जिला सीकर (राजस्थान)।

अंत में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

Savita 30/04/26

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सीकर

(रतन कुमार)
अति. जिला कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सनुवाई

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स श्री कैलाश चन्द्र बिजारनियां, एम. एल. नम्बर 06/2023 (प्लॉट नम्बर 33), क्षेत्रफल 2.9557 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 483000 टनप्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 371, 375 एवं 414/2648 निकट ग्राम बगड़ियों का बास (डूकिया) तहसील – दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर में मेसनरी स्टोन की प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के राजकाज रेफेरेन्स नम्बर 20738279 दिनांक 05.03.2026 के द्वारा उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक **23.04.2026 (गुरूवार) को दोपहर 01:00 बजे**, स्थान– **राजीव गांधी सेवा केन्द्र, डूकिया, तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर** में निर्धारित की गई।

स्थान :– **राजीव गांधी सेवा केन्द्र, डूकिया, तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर ।**

दिनांक :– **23.04.2026** समय :– **दोपहर 01:00 बजे (गुरूवार)**

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1	Ratan Kumar Swami ADM Sikar	[signature]
2.	Sarita, RO, RPCB	Sarita
	रामनिवास बोचल्या NTDR	[signature]
4.	राजेन्द्र प्रसाद	[signature]
	राजेन्द्र सिंह ठाकुर	[signature]
	रेखुराम	रेखुराम
	मुस्ताक अली	[signature]
	धन्नाराम	[signature]
	मनीष	Manish
	राकेश कुमार	Rakesh
	शिवपाल बिशनपुरा	[signature]

	कैलाश चन्द	कैलाशचन्द
	बलबीर सिंह	Balbeer Singh
	महेन्द्र सिंह	[illegible]
	सम्पूर्ण सिंह	सम्पूर्ण सिंह
	नरसिंह खीचड़	[illegible]
	विनोद खीचड़	[illegible]
	महेन्द्र कुमार	[illegible]
	विद्याधर	[illegible]
	बनवारी लाल	बनवारी लाल
	सुरेन्द्र सिंह	[illegible]
	धर्मपाल यादव	[illegible]
	राम करण	[illegible]
	ओमप्रकाश	[illegible]
	फूलचन्द शर्मा	फूलचन्दशर्मा
	पूर्ण मल बिजारणिया	[illegible]

(2)

GP 29/172

रजि. नं. 39/20-06-06

।। श्री गणेशाय नमः ।।

श्री कृष्ण गौशाला समिति

डूकिया (सीकर–राज.)

क्रमांक 60/1

दिनांक 23/04/2026

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय
कार्यालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

विषय:- ग्राम पंचायत डूकिया के राजस्व ग्राम बगड़ीयो का बास मे खनन विभाग द्वारा पत्थर के खनन के लिये लीज आवटित कि जा रही है जो गौशाला के एकदम सटीक है इससे गौशाला मे गायो का जिवित रहना मुश्कील है

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि गौशाला पहाड़ी क्षेत्र के एकदम पास में है और अगर इस पहाड़ी क्षेत्र मे लीज आवटित कि जाती है तो गौशाला मे लगभग 450 गाय है जो अच्छीतरह से संचालित है जिसमे समस्त पंचायत वासियो ने बड़ी मेहनत से इस गौशाला का निर्माण करवाया है अगर लीज आवटित की गई तो गौशाला का संचालन बन्द हो जायेगा इससे गौशाला बन्द हो जाएगी गायो का जिवित रहना मुश्केल है इससे गाव मे उष्णता बढेगी. अत: श्रीमान जी आपसे निवेदन है कि आप उपरोक्त पहाड़ी क्षेत्र पर लीज आवटित न करे।

अध्यक्ष
श्री कृष्ण गौशाला समिति
डूकिया (सीकर-राज.)

प्रशासक
ग्राम पंचायत डूकिया
पं. स. पलसाना (सीकर)

वार्ड पंच

भागीरथ

जवाहर लाल

अजय कुमार

सीताराम

रजि. नं. 39/20-06-06 | ।। श्री गणेशाय नमः ।। | GP 29/172

श्री कृष्ण गौशाला समिति

डूकिया (सीकर–राज.)

क्रमांक | दिनांक.......................

सोहन सिंह

गिरधारी राम

गणपतलाल

रूपाराम

शिवपालवर्मा

मोहनी

मुकेश सिंह

रामेश्वर

जवाहर

गिरिराज

कमला

सुरेश कुमार

साधु

सागर

संदीप सिंह

सोनू सिंह

महेन्द्र सिंह

भानूराम

राजेन्द्र प्रसाद

मोतीराम

मेवाराम

बजरंग लाल

विक्रम सिंह

Rakesh

पवन सिंह

शेर सिंह

गिरधारी

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय,

कार्यालय जिला कलक्टर

सीकर (राज.)

विषयः— ग्राम पंचायत डूकिया में लीज खनन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत डूकिया के राजस्व ग्राम बगड़ियों का बास में खनन विभाग द्वारा पत्थर के खनन के लिए लीज आवंटित की गई है। जो कि नियमानुसार सही नही है क्योंकि आवंटित लीज के पास घनी आबादी बसी हुई है एवं पास में राजकीय विधालय,आंगनबाड़ी, गौशाला बनी हुई है। अगर लीज चालू होती है तो ब्लास्टिंग की वजह से आस पास के मकानों में दरारें पड़ सकती है तथा धूल की वजह से वहां के आमजन को कई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। एवं पास में वन विभाग की भूमि है जिसे से वन्य जीवों के भी परेशानी होना सम्भावित है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त आवंटित लीजों को निरस्त कर आमजन को राहत प्रदान की जाये।

अगर उक्त आवंटित लीजों को निरस्त नही किया जाता है तों आस पास के गांवों के निवासीयों द्वारा आंदोलन किया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

समस्त ग्रामजन आपके आभारी रहेंगे।

प्रशासक
ग्राम पंचायत डूकिया

नृसिंह

मुकेश

सुवालाल

मोतीराम

सोनू

नाथूराम

प्रमोद कुमार प्रकाश

सांवर मल सामोता
राजेन्द्र
बिजेन्द्र
सुरेश कुमार बगड़िया
[illegible]
Suresh
जगमाल सिंह
गणपत लाल
राजेन्द्र प्रसाद
कानाराम
शीशराम
शिशराम
मेवाराम
बजरंग सिंह
रामवतार सिंह
हरिसिंह
बजरंग लाल
बिशाल कुमावत
हेमंत कुमावत
विक्रम सिंह
अमर सिंह
पवन सिंह
भवानी
[illegible]
हरफूल
बाबू

सुवालाल
रामदेव
मुकेश सिंह
[illegible]
गिरिराज
राजेश
राधेश्याम
रनलाल सिंह
हरलाल सिंह
पप्पू
शिवपाल
[illegible]
[illegible]
पूरणचन्द
रामनिवास
हजारी प्रजापत
राजेश
राजेन्द्र कुमावत
राजू राम
शेर सिंह
हरफूल
मुकेश
Hemraj
Ajay
[illegible]

श्यामलाल
मोहन
पवन कुमार
रामेश्वर झाबरमल
[illegible] कानाराम
Ramesh शीशराज
मितु लुहार
रामकुवार
[illegible]
[illegible]
[illegible]
विनोद
[illegible]
हरफूल
सुनिल
अशोक कुमार
प्रदीप
सुधिर राजपाल
मदनलाल
गोपाल
जगदीश

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय,

कार्यालय जिला कलक्टर

सीकर (राज.)

विषयः– ग्राम पंचायत डूकिया में लीज खनन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत डूकिया के राजस्व ग्राम बगड़ियों का बास में खनन विभाग द्वारा पत्थर के खनन के लिए लीज आवंटित की गई है। जो कि नियमानुसार सही नही है क्योंकि आवंटित लीज के पास घनी आबादी बसी हुई है एवं पास में राजकीय विधालय,आंगनबाड़ी, गौशाला बनी हुई है। अगर लीज चालू होती है तो ब्लास्टिंग की वजह से आस पास के मकानों में दरारें पड़ सकती है तथा धूल की वजह से वहां के आमजन को कई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। एवं पास में वन विभाग की भूमि है जिसे से वन्य जीवों के भी परेशानी होना सम्भावित है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त आवंटित लीजों को निरस्त कर आमजन को राहत प्रदान की जाये।

अगर उक्त आवंटित लीजों को निरस्त नही किया जाता है तों आस पास के गांवों के निवासीयों द्वारा आंदोलन किया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

समस्त ग्रामजन आपके आभारी रहेंगे।

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय,

कार्यालय जिला कलक्टर

सीकर (राज.)

विषयः— ग्राम पंचायत डूकिया में लीज खनन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत डूकिया के राजस्व ग्राम बगड़ियों का बास में खनन विभाग द्वारा पत्थर के खनन के लिए लीज आवंटित की गई है। जो कि नियमानुसार सही नही है क्योंकि आवंटित लीज के पास घनी आबादी बसी हुई है एवं पास में राजकीय विधालय,आंगनबाड़ी, गौशाला बनी हुई है। अगर लीज चालू होती है तो ब्लास्टिंग की वजह से आस पास के मकानों में दरारें पड़ सकती है तथा धूल की वजह से वहां के आमजन को कई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। एवं पास में वन विभाग की भूमि है जिसे से वन्य जीवों के भी परेशानी होना सम्भावित है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त आवंटित लीजों को निरस्त कर आमजन को राहत प्रदान की जाये।

अगर उक्त आवंटित लीजों को निरस्त नही किया जाता है तों आस पास के गांवों के निवासीयों द्वारा आंदोलन किया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

समस्त ग्रामजन आपके आभारी रहेंगे।

राजस्थान–सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता (याचिका), खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर

कमरा नम्बर–405, खनिज भवन, उद्योग भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

कार्यालय दूरभाष 0141–2227270 ई–मेल –me.writjaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– खअ/या./जय/ सीसी–4/प–5410/2026/ दिनांक :– यथा हस्ताक्षर

प्रेषिति :–

श्रीमान निदेशक महोदय,
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर।

विषयः– डी.बी.सिविल रिट पिटिशन (पीआईएल) संख्या 5410/2026 बजरंग लाल बगड़िया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, समक्ष राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में श्री विज्ञान शाह, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त रिट की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवामें प्रेषित है। चूंकि प्रकरण डी.बी. पीआईएल से संबंधित है।

कृपया उक्त प्रकरण में किसी उच्चाधिकारी को प्रभारी अधिकारी विधि एवं विधिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–12(04)राज/वाद /24 जयपुर दिनांक 20.06.2024 के अनुसार श्रीमान स्तर से परीक्षणोपरांत राज्य सरकार की ओर से प्रतिरक्षण की कार्यवाही वास्ते राजकीय अधिवक्ता के नियुक्ति आदेश शीघ्र जारी कर अनुगृहीत करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(अनुज गोयल)
खनि अभियन्ता, याचिका
जयपुर
दिनांकः– यथा हस्ताक्षर

क्रमांक :–समसंख्यक/

प्रतिलिपिः–निम्न को उक्त याचिका की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान संयुक्त विधि परामर्शी खान (ग्रुप–2), विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सीकर को उक्त याचिका की प्रति जरिए ईमेल/ई–डाक प्रेषित कर लेख है कि उक्त रिट का पदवार जवाब व तथ्यात्मक प्रतिवेदन दो प्रतियों में एवं पदवार/तथ्यात्मक प्रतिवेदन में वर्णित समस्त दस्तावेज व हस्तलिखित दस्तावेजों की टाईप्ड प्रतियां जो कि जवाब में संलग्नक के रूप में संलग्न किये जाने हैं की छाया प्रति इस कार्यालय को आज ही प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें एवं एक प्रति सहित संबंधित राजकीय अधिवक्ता से संपर्क कर जवाब दायर कराने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। अन्यथा जवाब दायर किये जाने में देरी होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anuj Goyal
Designation : Mining Engineer
Date: 2026.03.25 14:58:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21256115

AAG 25/3/26

Copy Received
6/3/26
AAG, RHC, Jaipur

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JAIPUR BENCH JAIPUR

D.B. Civil Writ Petition (PIL) No. 5410/2026

BAJRANG LAL BAGADIYA

V/S

STATE OF RAJASTHAN & ORS.

<u>INDEX</u>

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO
1.	Memo of writ petition PIL	1-21
2.	Affidavit in support of writ petition	22
3.	DOCUMENTS	
	Annex.-1 The photo copy of the Aadhar Card, PAN Card and Bank Pass Book (Colly).	23-25
	Annex.-2 The photo copy of Mutation entry dated 11.05.2025, 15.01.2026, 27.01.2026 (Colly.)	26-31
	Annex.-3 Copy of Jamabandi of Samwat 2076-2079	32
	Annex.-4 Copy of letter dated 04.07.2025 (Colly.), 09.05.2025, 11.11.2025 (Colly.).	33-36
	Annex.-5 Copy of impugned order dated 01.05.2025, 29.08.2025 (Colly.), 01.01.2026, 08.01.2026, Amended order 20.01.2026 (Colly.)	37-45
	Annex.-6 Copy of letter dated 05.09.2023, 06.07.2024, 25.02.2025 (Colly.)	46-51
	Annex.-7 Copy of mutation form dated 08.05.2025, 01.09.2025, 14.01.2026 (Colly.).	52-55
4.	Affidavit in support of the Documents	56

CC-IV 25.3.26

Jaipur.
Dated: -

Counsel for the Petitioner

A

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JAIPUR, BENCH JAIPUR

D.B. Civil Writ Petition (PIL) No.__________/2026

S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. ..../2026

BAJRANG LAL BAGADIYA

V/S

STATE OF RAJASTHAN & ORS.

SYNOPSIS

- That, the petitioner being bonafide resident of Ward No. 02, Bagadiyo Ka Bas, Dookiya, District Sikar, Rajasthan is hereby challenging the impugned order dated 29.08.2025, 09.01.2026 and 21.01.2026 issued by District Collector, Sikar whereby he granted government sanction to the land in question situated at Bagadiyo Ka Bas, Dookiya, District Sikar, Rajasthan by entered the same as a pasture land in the revenue record in the larger interest of the resident of Bagadiyo Ka Bas.
- That the respondent no. 2 vide its letter dated 04.07.2025 directed to the respondent no. 6 to be granted permission for mining to set up missionary stone in pasture land of village Bagadiyo Ka Bas, Panchayat Samiti Dookiya, Tehsil Dantaramgarh, District Sikar by further handing over the equal pasture land for khatedari land and the District Collector, Sikar vide its oder dated 29.08.2025 declared the land measuring 3.3904 hectare out of land measuring 29.79 hectare of land bearing khasra no. 371 nature pasture as Sivaychak land by issuing patta for mining to the respondent no. 8 and further the land bearing khasra no. 106/10, 107/21, 115/111, 108/21, 109/22, 110/22, 112/25 belonging to private khatedar has been entered pasture land in revenue record.

- That the Mining Engineer, Sikar vide its letter dated 07.06.2024 sought instruction to grant permission for mining to set up missionary stone in village Bagadiyo Ka Bas, Panchayat Samiti Dookiya, Tehsil Dantaramgarh, District Sikar and declared the respondent no. 8 successful bidder for setting up mining pursuant to e-tender dated 21.06.2023 and he also deposited the total bid amount of Rs. 9346960/- on 28.07.2023 and further the responent no. 6 vide its order dated 01.05.2025 issued permission for mining work to the respondent no. 8 by converting the land measuring 2.1160 hectare out of 2.31 hectare of khasra no. 363 as a pasture land.
- That the District Collector, Sikar vide its amended order dated 21.01.2026 granted permission to the respondent no. 8 to issue patta of mining in land by converting the land measuring 3.3904 hectare as a Sivaychak from pasture land in accordance with letter of Intent dated 05.09.2023. That the respondent no. 7 vide its letter dated 25.02.2025 sought instruction from the District Collector, Sikar to grant permission for mining to setup missionary stone in pasture land of Village Bagadiyo Ka Bas and the respondent no. 10 has been declared successful bidder pursuant to e-tender dated 21.06.2023 by issuing letter of intent to set up missionary stone in the land in question and he also deposited total Rs. 4153400/- and further the respondent no. 6 vide its impugned order dated 09.01.2026 issued patta of mining to set up missionary stone by converting his 2.9557 hectare out of 2.9600 hectare in khasra no. 364, 365, 366, 367, 368 as a pasture land.
- That the revenue officer of Patwar Mandal Dookiya, Tehsil Dantaramgarh, District Sikar vide mutation form dated

05.08.2025, 05.12.2025, 16.01.2026 and 28.01.2026 converted the pasture land of Village Bagadiyo Ka Bas of the land of khasra number as mentioned above in Sivaychak land.

- Hence, this writ petition.

Counsel for the Petitioner

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JAIPUR BENCH JAIPUR

D.B. Civil Writ Petition (PIL) No. ______/2026

Bajrang Lal Bagadiya S/o Shri Dhanna Ram Bagadiya, aged about 57 years, R/o Ward No. 02, Bagadiyo Ka Bas, Dookiya, District Sikar, Rajasthan. Mobile No. 9799649799, Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank Branch Gowati, Account No. 21658002072, PAN No. EPRPB1858F.

......PETITIONER/APPLICANT

VERSUS

1. State of Rajasthan through Additional Chief Secretary, Department of Revenue, Secretariat, Rajasthan, Jaipur.
2. Deputy Secretary, Department of Revenue (Group-III), Secretariat, Rajasthan, Jaipur.
3. Director, Mining and Geology Department, Rajasthan, Udaipur.
4. Additional Director (Mining), Mining and Geology Department, Jaipur Region, Jaipur.
5. Superintending Mining Engineer, Jaipur Circle, Jaipur.
6. District Collector, Sikar.
7. Mining Engineer, Mining and Geology Department, Sikar.
8. Deburam Gora S/o Shri Dhalaram Gora, R/o Kisan Colony, Ward No. 41, Nawalgarh Road, Sikar.
9. Sunil Choudhary S/o Ghasiram Jat, R/o Kishanpura, Tehsil Dantaramgarh, District Sikar, Rajasthan.
10. Kailash Chand Bijarniya S/o Shri Nathuram Bijarniya, R/o Village Vijaynagar Palsana Tehsil Dantarmagarh, District Sikar.

........RESPONDENTS /NON-APPLICANTS

IN THE MATTER OF UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA;

AND

IN THE MATTER OF PUBLIC INTEREST LITIGATION CHAPTER XXII-A RULE 385-A TO 385-R OF RAJASTHAN HIGH COURT RULES, 1952;

AND

IN THE MATTER OF RAJASTHAN MINOR MINERAL CONCESSION RULES, 2017

AND

IN THE MATTER OF RAJASTHAN TENANCY (GOVERNMENT) RULES, 1955

AND

IN THE MATTER OF CHALLENGING THE IMPUGNED ORDER DATED 29.08.2025, 09.01.2026 AND 21.01.2026 ISSUED BY DISTRICT COLLECTOR, SIKAR WHEREBY THE LAND IN QUESTION SITUATED AT GRAM PANCHAYAT DOOKIYA, PATWAR MANDAL DOOKIYA, VILLAGE CHAK MAJIPURA, DISTRICT SIKAR APPROVED BY ENTERED THE SAME AS A PASTURE LAND IN REVENUE RECORD.

AND

IN THE MATTER OF VIOLATION OF PRINCIPLES OF NATURAL JUSTICE.

To,

THE HON'BLE ACTING CHIEF JUSTICE AND OTHER COMPANION JUDGES OF HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JAIPUR BENCH, JAIPUR.

MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIP

The humble petitioner, above named, most respectfully bag to submit as under: -

1. PARTICULARS OF THE CAUSE/ORDER AGAINST WHICH THE PETITION IS MADE: -

   The present petition under Article 226 of the Constitution of India is being filed by way of Public Interest Litigation (P.I.L.) in the interest of Public at large, That the Tehsildar, Dantaramgarh entered the following land bearing khasra no. 339, 365, 366, 367, 368, 370, 376/2564, 414/2439, 514, 684/369, 754/363, 770/364, 790/781, 791/781, 797/783, 799/793 and 801/795 situated at Village Bagadiyo Ka Bas, Patwar Halka Dookia, Tehsil Dantaramgarh, District Sikar

2. PARTICULAR OF THE PETITIONER: -

   (i) That the petitioner is citizen of India, and hence, is well competent to invoke the extraordinary jurisdiction of this Hon'ble Court under Article 226 of the Constitution of India by way of filing this writ petition (P.I.L.).

   (ii) Petitioner has not been involved in any other civil, revenue, criminal litigation in any capacity before any Court or Tribunal.

3. DECLARATION AND UNDERTAKING OF THE PETITIONER: -

1. That the present PIL petition is being filed by way in Public Interest Litigation and the petitioner does not have any personal interest in the matter. The petition is being filed in the

ओमप्रकाश

interest of public way use for their public use, cattle of villagers and grazing of pasture land in village Dukiya, Tehsil Dantaramgarh, District Sikar Rajasthan.

2. That, the entire litigation, cost including the Advocate's fees and other charges are being born by the petitioner.
3. That, thorough research has been conducted in the matter raised through the public interest litigation.
4. That, to the best of the petitioner(s) knowledge and research the issue raised was not dealt with or decided and that a similar or identical petition was not filed earlier by him.
5. That, the petitioner has understood this in the course of hearing of this petition the court may require any security to be furnished towards costs or any other charges and the petitioner shall comply with the such requirements.

4. FACTS IN BRIEF, CONSTITUTING THE CAUSE: -

1. That our country is the largest Democratic Republic country in the world the Preamble of the Constitution of India unequivocally affords the Country and its citizens with significant objectives like Democratic, Republic etc. That no person shall be deprived of his fundamental rights except according to procedure established by law.
2. That the equality is the basic feature of the Constitution, the law treats everyone equal and does not favour anyone either because of he/she belongs to the advantages section of the society or to the disadvantages section of the society, thus social equality expects the states to take affirmative action for equal treatment of any class of society. No one above the law and no one beyond the law. Rule of Law is basic rule of governance of any civilized society under the supremacy of

activities. Wherein petitioner for present (P.I.L.) writ petition in capacity of largest interest of town/villagers and others used the common land. The present writ petition is being file in the interest of public and protecting pasture land or common land. The photo copy of the Aadhar Card, PAN Card and Bank Pass Book are enclosed herewith and marked as Annexure-1 Collectively.

6. That, the petitioner is the permanent resident of the Bagadiya Ka Bas Dukiya, tehsil Dantaramgarh, District Sikar and having Interest obtaining the all information regarding to allotment of common land to respondents no. 8 to 10 of subject land to converted pasture land to Siwai Chak in the Public Interest Litigation. The photo copy of Mutation entry dated 11.05.2025, 15.01.2026, 27.01.2026 (Colly.) are enclosed herewith and marked as Annexure No. -2 Collectively.
7. That, the factual matrix of the case, are that the petitioner petitioner being bonafide resident of Ward No. 02, Bagadiyo Ka Bas, Dockiya, District Sikar, Rajasthan is hereby challenging the impugned order dated 29.08.2025, 09.01.2026 and 21.01.2026 issued by District Collector, Sikar whereby he granted government sanction to the land in question situated at Bagadiyo Ka Bas, Dookiya, District Sikar, Rajasthan by entered the same as a pasture land in the revenue record in the larger interest of the resident of Bagadiyo Ka Bas.
8. That the Tehsildar, Dantaramgarh entered the following land bearing khasra no. 339, 365, 366, 367, 368, 370, 376/2564, 414/2439, 514, 684/369, 754/363, 770/364, 790/781, 791/781, 797/783, 799/793 and 801/795 situated at Village Bagadiyo Ka Bas, Patwar Halka Dookia, Tehsil Dantaramgarh, District Sikar. Copy of Jamabandi of Samwat 2076-2079 is enclosed herewith and marked as ANNEXURE-3.

9. That the respondent no. 2 vide its letter dated 04.07.2025 directed to the respondent no. 6 to be granted permission for mining to set up missionary stone in pasture land of village Bagadiyo Ka Bas, Panchayat Samiti Dookiya, Tehsil Dantaramgarh, District Sikar by further handing over the equal pasture land for khatedari land and the District Collector, Sikar vide its oder dated 29.08.2025 declared the land measuring 3.3904 hectare out of land measuring 29.79 hectare of land bearing khasra no. 371 nature pasture as Sivaychak land by issuing patta for mining to the respondent no. 8 and further the land bearing khasra no. 106/10, 107/21, 115/111, 108/21, 109/22, 110/22, 112/25 belonging to private khatedar has been entered pasture land in revenue record. Copy of letter dated 04.07.2025 (Colly.), 09.05.2025, 11.11.2025 and impugned order dated 01.05.2025, 29.08.2025 (Colly.), 01.01.2026, 08.01.2016, Amended order 20.01.2026 (Colly.) are enclosed herewith and marked as ANNEXURE-4 & 5 respectively.

10. That the Mining Engineer, Sikar vide its letter dated 07.06.2024 sought instruction to grant permission for mining to set up missionary stone in village Bagadiyo Ka Bas, Panchayat Samiti Dookiya, Tehsil Dantaramgarh, District Sikar and declared the respondent no. 8 successful bidder for setting up mining pursuant to e-tender dated 21.06.2023 and he also deposited the total bid amount of Rs. 9346960/- on 28.07.2023 and further the respondent no. 6 vide its order dated 01.05.2025 issued permission for mining work to the respondent no. 8 by converting the land measuring 2.1160 hectare out of 2.31 hectare of khasra no. 363 as a pasture land. Copy of letter dated 05.09.2023, 06.07.2024, 25.02.2025 are enclosed herewith and marked as ANNEXURE-6 Collectively.

awa
amiti Pilani
Date: 16/03/2026
r Civil Works In
j Rules 181
)-61
SOB01457-58
nd Terms & Conditions
p. rajasthan. gov. in &
.in

Administrator
Gram Panchayat
Likhawa

घाना, झुन्झुनू (राज0)
गने वार्ड नम्बर 10 सिंघाना)
pur@gmail.com

दिनांक:- 09.03.2026

सूचना

कार्यो हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्म / व्यक्तियो से .2026 तक आमंत्रित की जाती हैं। जिसकी an.gov.in पर देखी जा सकती हैं। बिड के

N Code
B2526WSOB37587
B2526WSOB37582

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका सिंघाना

परिषद, सीकर

6 (2) देखिये)

Date: 16-03-2026

चना

ा अधिनियम 2009 की धारा 69-ए के तहत आवेदक मकबुल हुसैन पुत्र हाजी मोहम्मद कर द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर कार्यालय द्वारा लोक सूचना का प्रकाशन करवाया गया, र तकनिकी अधिकारी/पटवार हल्का/आवेदन के अनुमोदन उपरांत प्रकरण में आवदेक द्वारा क्रमांक 245 दिनांक 02/12/2021 रकबा ल हुसैन पुत्र हाजी मोहम्मद हनीफ निवासी ारी किया गया, उक्त पट्टे की मूल पत्रावली क्त पट्टा बिना सक्षम हस्ताक्षर के जारी हुआ। नांक 02.12.2021 रकबा 235.67 वर्गमीटर उपरांत पट्टा धारक द्वारा पंजीकृत उपहार-पत्र मकबूल हुसैन को उपहार करने के उपरांत द्वारा उक्त पट्टे को दिनांक 11.12.2025 को प्रस्तुत करने पर आवेदक द्वारा नियमानुसार ा आदेश क्रमांक 163978 दिनांक 19.01.2026 .2021 रकबा 235.67 वर्गमीटर का नामांतरण किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल पट्टे पर सक्षम रण उक्त मूल पट्टे को मूल ही कार्यालय में प्रार्थी कलीम हुसैन द्वारा अपने नाम से पट्टा

चना जारी कर सर्वसाधारण को सूचित किया धारक को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति सूचना नगर परिषद में एकल खिड़की में विस्तृत करें।

प के अभाव में प्रकरण में आगामी कार्यवाही

आज दिनांक 16 मार्च 2026 को जारी की गई।

आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

ii.अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर जिला सीकरiii. राजस्थान राज्य प्रदूपण नियंत्रण मण्डल मण्डल मुख्यालय 4 संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी जयपुर।iv.क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-218, अरण्य भवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।v.महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।vi. उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर।vii.ग्राम पंचायत डूकिया, तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर।viii. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डूकिया, तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर। ix. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। x.क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूपण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर।

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के राजकाज पत्र क्रमांक 20738279 दिनांक 05.03.2026 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2026 (गुरुवार) को दोपहर 01.00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डूकिया, तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूपण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर (राज.)

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009 e-mail:rorpcb.sikar@gmail.com

Date:10-03-2026

RPCB/RO Sikar/ SIK-PH-046/3412-3422

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आम सूचना

विषय:- मैसर्स श्री देवुराम गोरा, एम एल नम्बर 03/2023 (प्लॉट नम्बर 34), खसरा नम्बर 371 एवं 375 एवं 414/2648, निकट ग्राम बगड़ियों का बास (डूकिया), तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स श्री देवुराम गौरा द्वारा प्रस्तावित माईनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जो कि माईनिंग कलस्टर क्षेत्र 13.6692 हेक्टयेर, एम एल नम्बर 03/2023 (प्लॉट नम्बर 34), खसरा नम्बर 375 एवं 414/2648 निकट ग्राम बगड़ियों का बास (डूकिया), तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूपण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स श्री देवुराम गौरा ने राजस्थान राज्य प्रदूपण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस अभय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यालय सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है-i. जिला कलेक्टर, सीकर। ii.अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर जिला सीकरiii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मण्डल मुख्यालय 4 संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी जयपुर।iv.क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-218, अरण्य भवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।v.महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।vi. उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर।vii.ग्राम पंचायत डूकिया, तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर।viii. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डूकिया, तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर। ix. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। x.क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूपण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर।

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के राजकाज पत्र क्रमांक 20738279 दिनांक 05.03.2026 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2026 (गुरुवार) को दोपहर 01.00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डूकिया, तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर (राज.)

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009 e-mail:rorpcb.sikar@gmail.com

Date:-10-03-2026

RPCB/RO Sikar/ SIK-PH-045/3401-3411

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आम सूचना

विषय:- मैसर्स श्री कैलाश चन्द्र बिजारणियां, एम एल नम्बर 06/2023 (प्लॉट नम्बर 33), खसरा नम्बर 371 एवं 375. निकट ग्राम बगड़ियों का बास (डूकिया), तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स श्री कैलाश चन्द्र बिजारणियां द्वारा प्रस्तावित माईनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जो कि माईनिंग कलस्टर क्षेत्र 13.6692 हेक्टयेर, एम एल नम्बर 06/2023 (प्लॉट नम्बर 33), खसरा नम्बर 371 एवं 375. निकट ग्राम बगड़ियों का बास (डूकिया), तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूपण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स श्री कैलाश चन्द्र बिजारणियां ने राजस्थान राज्य प्रदूपण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस अभय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यालय सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है-i. जिला कलेक्टर, सीकर। ii.अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर जिला सीकरiii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मण्डल मुख्यालय 4 संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी जयपुर।iv.क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-218, अरण्य भवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।v.महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।vi. उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर।vii.ग्राम पंचायत डूकिया, तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर।viii. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डूकिया, तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर। ix. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। x.क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूपण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर।

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के राजकाज पत्र क्रमांक 20738279 दिनांक 05.03.2026 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनम परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2026 (गुरुवार) को दोपहर 01.00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र; ग्राम डूकिया, तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूपण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर (राज.)

दैनिक उद्योग आस-पास 17-03-2026

KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

Registered Office:27, BKC, C-27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051. Branch Office: 2nd Floor, Ambadeep Building, KG Marg, New Delhi - 110001
Corporate Identity Number - L65110MH1985PLC038137, www.kotak.com

PUBLICATION OF UNDELIVERED DEMAND NOTICE U/S-13(2) of the SARFAESI Act, 2002

The present notice is hereby given that the under mentioned Borrower/ Guarantor(s)/Mortgagor(s) who have defaulted in the repayment of principal and interest of the loan facility obtained by them from Kotak Mahindra Bank Ltd ("the Bank" / "KMBL") and whose loan accounts have been classified as Non-Performing Assets (NPA). The notices were issued to below mentioned Borrower/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) under Section 13(2) of the Securitization and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 ("SARFAESI Act") on their last known addresses, but they have been returned un-served/delivered and as such they are hereby informed by way of this public notice and requested to collect the Original Notice/Postal Cover from the undersigned for further details of the notice.

Name of Borrower	**Magani Jethaji Texofine Private Ltd.** Having address at: G-163, 3rd Phase, Industrial Area, Balotra, Barmer, Rajasthan-344022. **Also at:** Plot No. 319, Zone-F, Khasra No. 498/79, Gram Temawas, Near Ambey Valley, Balotra, Barmer, Rajasthan – 344022. **Also at:** Plot No. 320, Zone-F, Khasra No. 498/79, Gram Temawas, Near Ambey Valley, Balotra, Barmer, Rajasthan – 344022. **Also at:** Plot No. 320A, Zone-F, Khasra No. 498/79, Gram Temawas, Near Ambey Valley, Balotra, Barmer, Rajasthan- 344022.
Name of the Guarantors/ Mortgagors	1) Magani Jethaji Texofine Private Ltd. (Borrower & Mortgagor) 2) Mr. Sarju Prasad Garg (Guarantor & Mortgagor) 3) Mr. Anirudh Garg (Guarantor) 4) Mr. Amar Chand Garg (Guarantor) 5) Mrs. Shilpa Devi Garg (Guarantor)
Date of 13(2) Demand Notice	2nd March, 2026
Date of NPA	21st December, 2025
Total Loan outstanding	**Rs. 11,31,06,992.78** (Rupees Eleven Crores Thirty One Lakhs Six Thousand Nine Hundred and Ninety Two Rupees and Paisa Seventy Eight Only) as on 16.02.2026 together with further interest and other charges thereon at the contractual rates upon the footing of compound interest from 17.02.2026 until it's full and final payment/realization

Details of Secured Asset/s

A) Details of Immovable Properties Mortgaged to KMBL

1. Plot No. 319, Zone-F, Kh. No. 498/79 Temawas, Balotra Admeasuring area 2307.46 Sq. Mtr. Together with all existing buildings and structures thereon and building and structures as may be erected/ constructed thereupon any time from/after the date of respective mortgages and all additions thereto and all fixtures and furniture's and plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to anything attached to earth, both present and future., Bounded by: East: Rasta, West: Khata No. 498/79, North: Plot No. 18, South: Plot No.320
2. Property Situated at Plot No. 320, Zone-F, Kh. No. 498/79 Temawas, Balotra Admeasuring area 2317.91 Sq. Mtr. Together with all existing buildings and structures thereon and building and structures as may be erected/constructed thereupon any time from/after the date of respective mortgages and all additions thereto and all fixtures and furniture's and plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to anything attached to earth, both present and future., Bounded by: East: Rasta, West: Khata No. 498/79, North: Plot No. 319, South: Plot No.320A
3. Property Situated at Plot No. 04, Kh. No. 138/1, Jerla Road Pittay Colony, Balotra Admeasuring area 590.50 Sq. Yds together with all existing buildings and structures thereon and building and structures as may be erected/constructed thereupon any time from/after the date of respective mortgages and all additions thereto and all fixtures and furniture's and plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to anything attached to earth, both present and future., Bounded by: East: Rasta, West: Industrial Area, North: Plot of Ramprasad, South: Plot of Saraswati
4. Property Situated at Plot No. 320A, Zone-F, Kh. No. 498/79 Temawas, Balotra Admeasuring area 2333 Sq. Mtr. Together with all existing buildings and structures thereon and building and structures as may be erected/constructed thereupon any time from/after the date of respective mortgages and all additions thereto and all fixtures and furniture's and plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to anything attached to earth, both present and future., Bounded by: East: Rasta, West: Khata No. 498/79, North: Plot No. 320, South: Plot No.321

B) Details of Assets Hypothecated with KMBL

1. All present and future of the Borrower's stocks of raw materials, goods-in-process, semi-finished and finished goods, consumable stores and spares and such other movables, including book debts, bills, whether documentary or clean, whether in the possession or under the control of the Borrower or not, whether now lying loose or in cases or which are now lying or stored in or about or shall hereafter from time to time during the continuance of these presents be brought into or upon or be stored or be in or about all the Borrower's factories, premises and godowns or wherever else the same may be or be held by any party to the order or disposition of the Borrower or in the course of transit or on high seas or on order or delivery;
2. All present and future equipment's of the Borrower including its spares, tools and accessories, whether installed or not and whether in the possession or under the control of the Borrower or not, whether now lying loose or in cases or which are now lying or stored in or about or shall hereafter from time to time during the continuance of these presents be brought into or upon or be stored or be in or about the Borrower's factories, premises and godowns or wherever else the same may be or be held by any party to the order or disposition of the Borrower or in the course of transit or on high seas or on order or delivery;
3. All present and future machinery, vehicles, motors, purchased/to be purchased including on deferred payment terms including its spares, tools and accessories, whether in the possession or under the control of the Borrower or not, whether now lying loose or in cases or which are now lying or stored in or about or shall hereafter from time to time during the continuance of these presents be brought into or upon or be stored or be stored or be in or about all the Borrower's factories, premises and godowns or wherever else the same may be or be held by any party to the order or disposition of the Borrower or in the course of transit or on high seas or on order or delivery;
4. All the book debts, moneys, claims, demands, contracts, engagements, securities operating cash flows, receivables, all other current assets, commissions and revenues of the Borrower, both present and future;
5. All amounts owing to, and received and/or receivable by, the Borrower and/or any person on its behalf, all book debts, trade receivables, all cash flows and receivables and proceeds arising and all rights, title, interest, benefits, claims and demands whatsoever of the Borrower in, to or in respect of all the aforesaid assets, including but not limited to the Borrower's cash-in-hand, both present and future; and
6. First and Exclusive charge by way of hypothecation on all existing and future current assets, movable assets & movable fixed assets of the borrower.

The Borrower and above mentioned Mortgagors / Guarantors are hereby called upon to make payment of outstanding amount within 60 days from the date of publication of this notice, failing which further steps will be taken after expiry of said 60 days under the provision of SARFAESI Act, 2002. Abovementioned parties are requested to get in touch with the Authorised Officer **Mr. Srinivas Ponduri on (M.) +91-9885333460 and email: - Srinivas.ponduri@kotak.com** for further details and information.

Place: Delhi
Date: 17th March, 2026

For Kotak Mahindra Bank Limited, Authorized Officer

Phone No. 03227-280176 / 280317; Email: salbonipress@brbnmpl.co.in

OPEN TENDER ENQUIRY (OTE)/NATIONAL COMPETITIVE BIDDING (NCB)

Bids are invited under Two-Part bidding system for the following e-Tenders through MSTC portal: -

1. SUPPLY AND INSTALLATION OF MODULAR KITCHEN AT C-TYPE QUARTERS (NEW & OLD) AT BRBNMPL, SALBONI; MSTC EVENT NO. BRBNMPL/SALBONI PRESS/MMD/50/25-26/ET/93 [MODULAR KITCHEN IN C-TYPE QTRS]; BRBNMPL TENDER NO. 026/SAL/MMD-CIVIL/2025-26; [ESTIMATED COST – ₹96.34 LAKH]
2. PROVIDING AND FIXING OF uPVC DOORS AND WINDOWS TO EXISTING OPENINGS IN 40 NOS. OF C-TYPE (NEW & OLD) RESIDENTIAL QUARTERS AT BRBNMPL, SALBONI; MSTC EVENT NO. BRBNMPL/SALBONI PRESS/MMD/52/25-26/ET/96 [uPVC DOORS AND WINDOWS]; BRBNMPL TENDER NO. 028/SAL/MMD-CIVIL/2025-26; [ESTIMATED COST – ₹143.80 LAKH]
3. SUPPLY, INSTALLATION AND TESTING OF STREET LIGHT POLES, LUMINARIES AND ASSOCIATED CABLE LAYING WORK NEAR PERIPHERAL BOUNDARY WALL AT BRBNMPL TOWNSHIP, SALBONI; MSTC EVENT NO. BRBNMPL/SALBONI PRESS/MMD/53/25-26/ET/98 [STREET LIGHT]; BRBNMPL TENDER NO. 029/SAL/MMD-MAINT/2025-26; [ESTIMATED COST – ₹115.00 LAKH]

Last date of tender submission for **Sl. No. 1 – 07.04.2026 by 11:00 Hrs.** and for **Sl. Nos. 2 & 3 – 21.04.2026 by 11:00 Hrs.** For downloading tender documents and other details, kindly visit website **www.mstcecommerce.com** . Tender details are also available at our website **www.brbnmpl.co.in**. Further extension or amendment/s, if any, shall be uploaded on the above websites.

Senior General Manager

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, Email: rorpcb.sikar@gmail.com

RPCB/RO SIKAR-PH-045/3411 DATE 10.03.2026

पर्यावरण स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषयः मैसर्स श्री सुनिल चौधरी, एम एल नम्बर 05/2023 (प्लॉट नम्बर 39) खसरा नम्बर 371, निकट ग्राम बगडियों का बास (डूकिया) तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स श्री सुनिल चौधरी द्वारा प्रस्तावित माईनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जोकि माईनिंग कलस्टर क्षेत्र 13.8892 हेक्टयेर, एम एल नम्बर 05/2023 (प्लॉट नम्बर 39) खसरा नम्बर 371, निकट ग्राम बगडियों का बास (डूकिया) तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री सुनिल चौधरी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यालय सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध हैः-

1. जिला कलेक्टर, सीकर 2. अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर, जिला सीकर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर 5. महा -प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर
6. उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर।
7. ग्राम पंचायत, डूकिया, तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर।
8. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डूकिया तहसील दांतारामगढ एवं जिला सीकर।
9. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
10. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के राजकाज पत्र क्रमांक 20738279 दिनांक 05.03.2026 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2026 (गुरूवार) को प्रातः 10:30 बजे, स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डूकिया तहसील दांतारामगढ एवं जिला सीकर। में उपस्थित होकर अपने लिखित /मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों /सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, Email: rorpcb.sikar@gmail.com

RPCB/RO SIKAR-PH-045/3401-3411 DATE 10.03.2026

पर्यावरण स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषयः मैसर्स श्री कैलाश चन्द्र बिजारणियां, एम एल नम्बर 06/2023 (प्लॉट नम्बर 33) खसरा नम्बर 371 एवं 375, निकट ग्राम बगडियों का बास (डूकिया) तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स श्री कैलाश चन्द्र बिजारणियां द्वारा प्रस्तावित माईनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जोकि माईनिंग कलस्टर क्षेत्र 13.6692 हेक्टयेर, एम एल नम्बर 06/2023 (लॉट नम्बर 33) खसरा नम्बर 371 एवं 375, निकट ग्राम बगडियों का बास (डूकिया) तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री कैलाश चन्द्र बिजारणियां ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यालय सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध हैः-

1. जिला कलेक्टर, सीकर 2. अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर, जिला सीकर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर 5. महा -प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर
6. उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर।
7. ग्राम पंचायत, डूकिया, तहसील दांतारामगढ़ एवं जिला सीकर।
8. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डूकिया तहसील दांतारामगढ एवं जिला सीकर।
9. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
10. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के राजकाज पत्र क्रमांक 20738279 दिनांक 05.03.2026 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2026 (गुरूवार) को दोपहरः 01:00 बजे, स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डूकिया तहसील दांतारामगढ एवं जिला सीकर। में उपस्थित होकर अपने लिखित /मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों /सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

The Indian Express 18-02-2026